दिनांक-03जनवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

सड़क बाधा एवं सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों पर उड़नदस्ता की टीम ने लगाया 1000 जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज कोहका रोड , सुपेला बाजार, हार्डवेयर लाइन, वैशालीनगर, गोल मार्केट सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित पानी पाउच तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कार्यवाही करते हुए 3,500 रूपए का अर्थदण्ड वसूलते हुए साथ ही दोबारा इस प्रकार से न करने की समझाईस दी गई। निगम क्षेत्रांर्गत अनाज मंडी सुपेला स्थित अमित ट्रेडर्स के यहां से प्रतिबंधित प्लास्टिक पाए जाने पर उसे जप्त कर जुर्माना वसूला गया तथा उड़नदस्ता की टीम ने सुपेला बाजार में सघन दौरा कर सड़क पर सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वालो को समझाइश देते हुए हटवाया। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने कोहका रोड, सुपेला बाजार, वार्ड 06 हार्डवेयर लाइन, वार्ड 13 गुरूनानक मोहल्ला, वार्ड 15 वैशालीनगर गोल मार्केट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल , रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित प्लास्टिक, पानी पाउच व कैरीबैग रखने वालों , बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। नालियों पर कचरा , सफाई व्यवस्था, लायसेंस आदि का जायजा लिया लिया गया तथा विभिन्न व्यवसायियों से 3,500 रूपए का दाण्डिक शुल्क वसूला गया ,साथ ही समझाईस दी गई की दुकान का सामान फैलाकर सड़क बाधा न करे, प्रतिबंधित पानी पाउच, प्लास्टिक, डिस्पोजल व कैरी बैग न बेचे अन्यथा विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

जनसम्पर्क अधिकारी